


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/विकास/2012/870

दिनांक 06.11.2012


कार्यालयीन आदेश

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16.10.2012 में पद क्र. 9 पर लिये गये निर्णयानुसार यू0जी0सी0 के पत्र क्र. एफ.19-1/2002 (SA-I / Policy) दिनांक 27.12.2010 के आधार पर यू0जी0सी0 जे0आर0एफ0 को प्राप्त होने वाली फ़ैलोशिप की दरों में की गई वृद्धि के साथ-साथ प्राप्त होने वाले गृह भाड़ा भत्ते की दरें भी केन्द्रीय शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभिन्न शहरों के लिये जहां कि सम्बन्धित शोधार्थी शोध कार्य कर रहा है के अनुरूप "Y" श्रेणी में वर्गीकृत ग्वालियर नगर में शोधरत जे0आर0एफ0 को फ़ैलोशिप का 20% की दर से गृह भाड़ा भत्ते का भुगतान किया जाना भी पूर्वापेक्षी दिनांक 01.04.2010 से शंसोधित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययन शालायें, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. समन्वयक, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर
3. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय/शोध केन्द्र, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर
4. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब साइट, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर
6. सम्पादक.....की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना अपने लोक प्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में कृपया निःशुल्क प्रकाशित करे,


सहा0कुलसचिव(विकास)